

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग/एलएचवी/सी-3/2017/

दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.14 (1) एफ.डी(नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.2013 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य दर्शिका जिन्होंने 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	संबंधित अधिकारी	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक व पूर्ण सेवावधि	देय पे बेन्ड	देय पे ग्रेड
1	जयामणी पी0एन0	सीएमएचओ झालावाड	29.11.89	29.11.16 27 वर्ष	9300-34800	4800
2	नारायणी सोनी	सीएमएचओ जालौर	03.10.89	03.10.16 27 वर्ष	9300-34800	4800
3	निर्मला कुमारी	सीएमएचओ पाली	17.09.86	17.09.13 27 वर्ष	9300-34800	4800
4	जसोदा	सीएमएचओ पाली	26.12.89	26.12.16 27 वर्ष	9300-34800	4800
5	देवी विश्नोई	सीएमएचओ बाडमेर	17.10.88	17.10.15 27 वर्ष	9300-34800	4800
6	सुधा रानी	सीएमएचओ कोटा	07.09.89	07.09.16 27 वर्ष	9300-34800	4800
7	लिसी पी0 यू0	सीएमएचओ नागौर	29.12.88	29.12.15 27 वर्ष	9300-34800	4800
8	किरोस्ता यादव	सीएमएचओ जयपुर प्रथम	01.06.98	01.06.16 18 वर्ष	9300-34800	4200
9	ललिता वर्मा	सीएमएचओ बारां	20.05.89	20.05.16 27 वर्ष	9300-34800	4800
10	सुन्दर देवी मराठा	सीएमएचओ प्रतापगढ	20.01.88	20.01.15 27 वर्ष	9300-34800	4800

नोट:- उक्त कर्मियों में यदि किसी कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं


राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 13/9/2017

क्रमांक :- नर्सिंग/एलएचवी/सी-3/2017/ 687

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड/जालौर/पाली/बाडमेर/ कोटा /नागौर/ जयपुर प्रथम/बारां /प्रतापगढ।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झालरापाटन(झालावाड)/जालौर/ बाली(पाली)/धोरीमन्ना(बाडमेर) /लाडपुरा(कोटा)/डीडवाना (नागौर)/अटरू(बारां)/छोटी सादडी (प्रतापगढ)।
3. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरवा/चामुण्डेरी(पाली) /दयालपुरा (नागौर)
5. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. आदेश/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राजस्थान जयपुर